# इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

## प्रेस विज्ञप्ति

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण/नगर निगम/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरूद्ध चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के क्रम में आज दिनांक 12/07/2017 को नैनी इलाहाबाद–रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग के बाये किनारे स्थित अतिक्रमणों को हटवाया गया। उक्त कार्यवाही में 35 टीन शेड, 03 रैम्प, 06 दीवारे, 04 चबूतरा, 02 सड़क पटरी पर बनाये बाड़, 05 अस्थाई चाय नास्ते के होटल व भट्ठियॉ, तथा 09 गुमटियाँ हटायी गयी। उक्त कार्यवाही में विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, एस0डी0एम0 करछना श्री विनय कुमार सिंह सी0ओ0 करछना श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, नगर निगम के जोनल अधिकारी श्री नीरज सिंह, इंस्पेक्टर नैनी सहित थाने की पुलिस,पी0ए0सी0 तथा प्राधिकरण व नगर निगम प्रवर्तन दल/पुलिस बल उपस्थित रहें।

इसी क्रम में अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत है–

जोन संख्या–01 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 01 चालान, 01 शमन मानचित्र दाखिल किया गया।

जोन संख्या–02 व 04 में जोनल अधिकारी श्री गुडाकेश शर्मा के नेतृत्व में 01 चालान निर्गत की गयी।

जोन संख्या– 06 में जोनल अधिकारी श्री सत शुक्ला के नेतृत्व में 04 चालान, 03 नोटिस, निर्गत की गयी।

जोन संख्या–05 में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के नेतृत्व में 02 चालान निर्गत की गयी।

इस प्रकार कुल 08 चालान 05 नोटिस निर्गत की गयी तथा 01 शमन मानचित्र दाखिल किया गया।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/क्षेत्रीय भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

12.07.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क